

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई - अगस्त, 2002 सत्र

कानूनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2002 (श्रावण 7, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

1. निधन उल्लेख

श्री कृष्णकौत, भारत के उप राष्ट्रपति का निधन उल्लेख.

2. प्रबोधन

पृथकः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नबागल

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय विश्नोई, हरिन्द्रराजीत सिंह (बब्बू), अचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर में पूर्व विधायक के परिवार को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर यह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण में अनियमितता की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. वक्तव्य

(1) श्री सुभाष यादव, उपमुख्यमंत्री, दिनांक 4 अप्रैल, 2002 एवं 15 जुलाई, 2002 को पूछे गये क्रमांक: अलाराकित प्रश्न संख्या 84 (क्रमांक 5681) तथा ताराकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 47); तथा

(2) श्री हरबंश सिंह, बन मंत्री, दिनांक 24 जुलाई, 2002 एवं 15 जुलाई, 2002 को पूछे गये क्रमांक: अलाराकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 631) तथा अलाराकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 91),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

6. वर्ष 2002-2003 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर भत्ताचान

निर्धारित
समय

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

1 घन्टा
30 मि.

"दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 75, 79, 80, 82, 86, 93 तथा 94 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल भिलाकर आठ सौ छब्बीस करोड़, लिहतर लाख, लैटीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय।"

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि.

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2002 (क्रमांक 17 सन् 2002) का पुरास्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(3) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 16 सन् 2002) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महारथ के विवर पर चर्चा

1 घन्टा
30 मि.
(शेष 50 मि.)

प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण।

डॉ. प. के. पद्मासी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

भोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2002

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्।